राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 748/2017

रूकमणी शेखसरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.04.2017
आदेश की दिनांक : 19.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एन.एस. चौहान , अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने वर्ष 1987 में राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी उत्तीर्ण की और उसके बाद वर्ष 1989 में वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, जिला टोंक से बी.एड. उत्तीर्ण की। अपीलार्थी का चयन वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर आदेश दिनांक 23.01.1990 (अनुलग्नक–1) द्वारा किया गया। उक्त पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर जिला झुन्झुनूं में दिनांक 01.02.1990 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.01.2007 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थाई कर दिया गया। अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर कार्य करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को रसायन विज्ञान विषय में एमएससी करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी को सरकारी शिक्षकों की आरक्षित सीट के तहत सत्र 1995–96 से उक्त पाठ्यक्रम की अनुमति दी गई थी और आदेश दिनांक 06.07.1995 (अनुलग्नक–3) द्वारा एस.के. राजकीय महाविद्यालय, सीकर आवंटित किया गया था। अपीलार्थी ने शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त कर राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान) की उपाधि वर्ष 1997 में प्राप्त की थी एवं उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर परिक्षेत्र, चूरू के कार्यालय आदेश दिनांक 15.05.1999 में जारी करते हुए अपीलार्थी की उक्त अभिवृद्धि योग्यता को अभिलेख पर लेते हुये वरिष्ठता में जोड़े जाने के आदेश प्रदान किए गये (अनुलग्नक–7 एवं 8)। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 का नियम 28 वरिष्ठता अनुसार सेवा के काडर में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। उक्त नियम के

प्रावधानुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता वरिष्ठ अध्यापक के पद पर उसकी नियुक्ति तिथि दिनांक 23.01.1990 से आधारित होगी। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 की अनुसूचि के अनुसार प्राध्यापक विज्ञान के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदो के लिये न्यूनतम योग्यता सुसंगत विषय में स्नातकोतर की उपाधि के साथ वरिष्ठ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है। इस प्रकार अपीलार्थी प्राध्यापक विज्ञान के पद पर वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पाने की अधिकारी हो गई थी लेकिन शिक्षा विभाग की अनदेखी व अवैधानिक कृत्य के कारण अपीलार्थी को प्राध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ वरिष्ठ अध्यापक पुरुषों को वर्ष 1997–98, 98–99, 99–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति दे दी गई जो कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 28.04.2005 (अनुलग्नक–11) से स्पष्ट है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हैं कि प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पदों पर पुरूषों को ही पदोन्नति प्रदान की गई जबकि उक्त पदों पर उक्त वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध महिला अभ्यर्थी जो वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर कार्यरत थी एवं वरिष्ठता में उनसे वरिष्ठ थी भी पदोन्नति पाने की अधिकारी थी। इस प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के साथ स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 28.11.1997 (अनुलग्नक–12) द्वारा छात्र छात्रा विद्याालयों का एकीकरण कर दिया था और मण्डल उप निदेशक (पुरूष) व उप निदेशक (महिला) जिला शिक्षा अधिकारी छात्र व छात्रा के पदों को समाप्त करते हुए क्रमशः उपनिदेशक माध्यमिक/प्राथमिक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक) के नाम से परिवर्तित कर दिया था। अपीलार्थी को निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 23.03.2015 (अनुलग्नक–13) द्वारा प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 31 पर दर्शाया गया है। इसके उपरांत अपीलार्थी का पदस्थापन प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पद पर रा. शहीद कर्नल जे. पी. जानू उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनूं में कर दिया गया। जहां अपीलार्थी वर्तमान में कार्यरत है। निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 03.07.2015 (अनुलग्नक–16) जारी किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय व समकक्ष पद (ग्रप डी–11) पे–बैण्ड 15600–39100 पी.बी.–3 ग्रेड पे–6600 वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई हैं और उसमे अपीलार्थी से वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के

पद पर कनिष्ठ अध्यापकों को प्रधानाचार्य/समकक्ष पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है जो कि बिल्कुल अवैधानिक व अनुचित है और अपीलार्थी उनसे पहले प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) व प्रधानाचार्य/समकक्ष पद पर पदोन्नति प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 06.06.2016 (अनुलग्नक–17) द्वारा अभ्यावेदन एवं डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस दिनांक 11.07.2016 (अनुलग्नक–18) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर सही वरिष्ठता अपनाते हुए अपीलार्थी को प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पद पर वर्ष 1997–98, 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की जायें और प्रधानाचार्य/समकक्ष पद पर उक्त 1997–96, 1998–99 की वरिष्ठता मानते हुए पदोन्नति प्रदान की जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियमों का नियम 6 method of Recruitment बतलाता है एवं नियम 6(1)(बी.) में यह प्रावधान है कि .....By promotion in accordance with procedure laid down in these rules....1 राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 6 उप नियम 2 के प्रोविजो 6 में यह प्रावधान है कि–that direct recruitment and promotion relating to the posts in each group of the service included in Schedule I and II shall be made separately for Boys and girls Institutions. राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 4(4) में नियमानुसार शिड्यूल निर्धारित है :–

> [{4} There shall be separate cadres in each Group of Service specified in the Schedules I to VI such as-
>
> 1. Scheldule I for Boys Institutions,
> 2. Scheldule II for Girls Institutions,
> 3. Scheldule III for Science and General Institutions,
> 4. Scheldule IV for Institutions of Language Studies,\
> 5. Scheldule V for Institutions of Physical Education, and
> 6. Scheldule VI for Institutions of Arts, Music and Other.

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) का पद– Scheldule I एवं Scheldule II में संवर्गित है। नियमों के– Scheldule I Boys Institutions एवं Scheldule II Girls Institutions से संबंधित है। उक्त नियम 1970 के भाग–V में पदोन्नति के पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि ....

> 23. Eligibility and Criteria for Selection-(i) The persons holding the post enumerated in column 5 of the 2[schedules] shall be eligible, on the basis of merit and seniority cum merit, for promotion to posts specified in

column 2 thereof subject to their possessing the qualifications and experience, 3[on the first day of the month of April of the year of selection] as specified in column 6 thereof 1

उक्त नियमों के नियम 24 में निम्नानुसार प्रावधान है–..

24. Procedure for selection on the basis of seniority- cum-merit-2[(1) As soon as it is decided that a certain number of posts shall be filled by promotion, the Director shall prepare a correct and complete list containing names not exceeding five times the number of vacancies, out of the senior most persons as mentioned in column 5 of the Schedule, who are qualified under the rules for promotion to be posts concerned. He shall forward this list along with their confidential rolls and personal files to the Secretary to the Government in the Education Department;...1

विभाग द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के उक्त प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार किया गया है। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति उक्त नियमों के नियम 4. 6. 23 एवं 24 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उक्त नियम 1970 के साथ संलग्न शिड्यूल–I छात्र एवं शिड्यूल–II छात्रा संस्थाओं की रिक्तियों पर चयन हेतु पृथक–पृथक पात्रता सूची निर्मित की जाती है एवं उक्त पात्रता सूची में से उपलब्ध रिक्तियों पर नियमानुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन सम्बंधी कार्यवाही की जाती है। नियमों व उसके साथ संलग्न शिड्यूल के अनुरूप ही पदोन्नति की जाती है। शिड्यूल–II में मात्र, पात्र महिला अभ्यर्थियों की पदोन्नति की जाती है प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन महिला वर्ग की वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक की निर्धारित रिक्तियों के प्रति अपीलार्थी के समान वर्ग में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनित अन्तिम अभ्यर्थी का वरिष्ठता कमांक व अवधि निम्नानुसार रहा है :–

चयन वर्ष	**अपीलार्थी के समान वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी का वरिष्ठता कमांक व अवधि**
1997–98	1017/1983–86
1998–99	रिक्तियां उपलब्ध नहीं
1999–2000	290/1986–88
2000–01	871–1983–86
2001–02	रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2002–03	रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2003–04	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2004–05	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2005–06	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2006–07	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2007–08	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं

2008–09	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2009–10	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2010–11	सामान्य वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध नहीं
2011–12	524/1986–88
2012–13	119(1)/1988–90

इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी महिला अभ्यर्थी का चयन वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन महिला वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयन नहीं हुआ है। अपीलार्थी नियमानुसार चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियां के प्रति डीपीसी से चयन हेतु पात्र बनी है, तथा इनका चयन उक्त वर्ष की रिक्तियों के प्रति कर लिया गया। शिड्यूल–I हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयनित पुरूष अभ्यर्थियों के चयन से अपीलार्थी के चयन की तुलना नियमानुसार नहीं की जा सकती है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 में अलग–अलग संवर्ग निर्धारित है एवं इन संवर्गो की पृथक–पृथक भर्ती, वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति का प्रावधान है। संवर्गवार कॉडर पद निर्धारित है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि सभी पुरूष स्कूल व्याख्याताओं की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर शिड्यूल–I में की जाती है और शिड्यूल–I में महिलाओं की पदोन्नति नहीं की जा सकती है, बल्कि महिलाओं की पदोन्नति शिड्यूल–II में की जाती है। शिड्यूल–II में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी महिला कार्मिक की पदोन्नति नहीं की गई है। अपीलार्थी शिड्यूल–I में पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं नियम 1970 से शासित होती है और इन नियमों के नियम–4, में यह कहा गया है कि सेवा में वे पद होंगे जो अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न ग्रुपों में व्यवस्थित किए गए है। इन नियमों में आगे यह बताया गया है कि शिड्यूल–I से शिड्यूल–VI तक में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रत्येक ग्रुप में अलग संवर्ग होंगे, जैसे –

अनुसूची–I ''छात्र संस्थाओं के लिए,
अनुसूची–II छात्रा संस्थाओं के लिए,
अनुसूची–III विज्ञान एवं सामान्य संस्थाओं के लिए,
अनुसूची–IV भाषा अध्ययन की संस्थाओं के लिए,
अनुसूची–V शारीरिक शिक्षा की संस्थाओं के लिए एवं
अनुसूची–VI कला, संगीत एवं अन्धों की संस्थाओं के लिए।''

नियम, 1970 के नियम 6(6) में पदोन्नति आदेश जारी करते समय निम्न प्रावधान थे :–

> ''(6) यह कि अनुसूची– I एवं II में सम्मिलित सेवा के प्रत्येक ग्रुप में पदों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति छात्र एवं छात्रा संस्थाओं के लिए अलग से की जाएगी।''

अपीलार्थी का यह निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.11.1997 द्वारा छात्र एवं छात्रा विद्यालयों का एकीकरण कर दिया था इस कारण संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाकर प्रत्यर्थी विभाग को पदोन्नति की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। इस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें स्कूल शिक्षा विभाग को माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा दो में विभक्त कर इस अनुरूप पदनाम परिवर्तन किए गये है। सेवा नियमों में कॉडर को सम्मिलित करने संबंधी कोई आदेश अपीलार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.09.2013 प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

"1. **Short title and commencement.** (1) These rules may Rajasthan Educational Service (Amendment) Rules, 2013. be called the

(2) They shall deemed to have come into force with effect from 31.03.2012.

2. **Amendment of rule 6**.- In existing proviso (6) to sub-rule (2) of rule 6 of the Rajasthan Educational Service Rules, 1970, shall be substituted by following, namely:-

"(6) that direct recruitment and promotion relating to the posts in each group of the service included in Schedule-I and II shall be made separately for Boys and Girls Institutions, but if the appointing authority is satisfied in consultation with Commission that the suitable persons are not available for promotion on any post included in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, in a particular year, than promotion may be made from the other Schedule."

इससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.09.2013 तक राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 में अनुसूची–I एवं अनुसूची–II विद्यमान थी अर्थात् नियमों में पुरूष एवं महिला संस्थाओं के संबंध में भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति हेतु पृथक–पृथक प्रावधान है।

अपीलार्थी से कनिष्ठ जिन व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, वह अनुसूची प्रथम के पद के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया है, जिनका पृथक सेवा संवर्ग है। अपीलार्थी तत्समय शिड्यूल–I के पद के विरूद्ध पदोन्नति की पात्र नहीं है। हमारें मत में पदोन्नति नियम, 1970 के नियम–6(6) के अनुरूप है और अनुसूची– I एवं II में क्रमशः छात्र संस्थाओं एवं छात्रा संस्थाओं के लिए पुरूष एवं महिला स्कूल व्याख्याता को अनुसूचीवार पदोन्नतियां सही रूप से प्रदान की गई है। अपीलार्थी महिला स्कूल व्याख्याता है, इसलिए उसे अनुसूची–I के पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और उसका अधिकार अनुसूची– II के पदों के लिए पदोन्नति प्राप्त करने का था तथा अनुसूची–II के पदों पर अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी महिला स्कूल व्याख्याता की कोई पदोन्नति

नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य